हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/1/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
27/1/25 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 31/1/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
/1/25 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी आ.वि.03 प्र. प्रकरण जवाब। तलबी हेतु दिनांक 5/2/25 को पेश हो	
5/2/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 10/2/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
10/2/25 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी आ.वि.03 प्र. प्रकरण जवाब। तलबी हेतु दिनांक 5/3/25 को पेश हो	
5/3/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अभिवक्ता उप.। प्रतिवादी सं. 1 2 व 5 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 6 की तलबी होकर प्राप्त। प्रतिवादी सं. 6 के फोरमल पक्षकार होने तथा कोई अनुतोष नहीं चाहने से प्रतिवादी सं-6 का जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 21/3/25 को पेश हो। 5/3/25 पुनश्च: सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

35/2023

उनवान

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राधेश्याम V/S सत्यनारायण वगै०

3/25 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी अधि० उप०। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान राधेश्याम V/S सत्यनारायण वगै० वाद सं० 35/2023 तथा न्यायालय में लम्बित अन्य वाद सं- 22/2023 उनवान सत्यनारायण V/S ओमप्रकाश वगै० समान विषयवस्तु, समान विवाधक एवं समान पक्षकारों के मध्य विचाराधीन है। समान पक्षकारों, समान विवाधकों एवं समान विषयवस्तु पर वाद प्रस्तुतीकरण होने से पश्चातवर्ती वाद पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं होने से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के अन्तर्गत पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है। वादी अधिवक्ता द्वारा किये गये उक्त निवेदन को प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि चूंकि न्यायालय में लम्बित अन्य वाद सं- 22/2023 उनवान सत्यनारायण बनाम ओमप्रकाश को मूल वाद के रूप में संस्थित रखा जावे तथा पश्चातवर्ती वाद को मूल वाद की पत्रावली के साथ शामिल करते हुये निस्तारित कर दिया जावे।

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस का चिंतन एवं मनन किया गया तथा वाद सं. 35/2023 एवं 22/2023 की ~~अवलोकन~~ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त दोनो वाद में समान विषयवस्तु, समान विवाधक एवं समान पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन होने से पश्चातवर्ती वाद सं. 35/2023 में कोई भी कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि धारा 10 जा. दीवानी के अनुसार पूर्ववर्ती वाद में ही पक्षकारों के हितों का निश्चय किया जायेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर पश्चातवर्ती वाद सं. 35/2023 को पूर्ववर्ती वाद सं. 22/2023 के साथ शामिल किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर ले कम हो।

(हस्ताक्षर)
03/3/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. राधेश्याम सुथार पुत्र देवी लाल सुथार, निवासी छात्रावास के पीछे श्रीराम कॉलोनी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण सुथार पुत्र देवी लाल सुथार, निवासी सुथारों की गली बस स्टेण्ड पुर भीलवाड़ा
2. ओमप्रकाश पुत्र बद्री लाल सुथार निवासी सुथारों की गली बस स्टेण्ड पुर भीलवाड़ा
3. मांगी लाल पुत्र धन्ना सुथार निवासी सुथारों की गली बस स्टेण्ड पुर भीलवाड़ा
4. रामु देवी पत्नी बद्री सुथार, निवासी सुथारों की गली बस स्टेण्ड पुर भीलवाड़ा
5. रामेश्वर पुत्र बद्री सुथार, निवासी सुथारों की गली बस स्टेण्ड पुर भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन कृषि आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 35/2023 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिंह राणावत उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 05.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस का चिंतन एवं मनन किया गया तथा वाद संख्या 35/2023 एवं 22/2023 की पत्रावली क अवलोकन किया गया। उक्त दोनो वाद में समान विषयवस्तु समान विवाधक एवं समान पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन होने से पश्चातवर्ती वाद संख्या 35/2023 में कोई भी कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि धारा 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार पूर्ववर्ती वाद में ही पक्षकारों के हितों का विनिश्चय किया जायेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर पश्चातवर्ती वाद संख्या 35/2023 को पूर्ववर्ती वाद संख्या 22/2023 के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है।

5/3/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा